UJVNL

यूजेवीएन लिमिटेड
(पूर्ववर्ती उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0)
(उत्तराखण्ड सरकार का उद्यम)
देहरादून।

*विज्ञापन संख्या./**Rectt**/01/2015–16*

सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ईएण्डएम)/(सिविल) एवं अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ईएण्डएम)/(सिविल) के पदों हेतु विस्तृत विज्ञापन

यूजेवीएन लिमिटेड उत्तराखण्ड सरकार का एक उपक्रम है जो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत है एवं उत्तराखण्ड में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं संवर्धन की दिशा में अग्रसर है। यूजेवीएन लिमिटेड निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में ऑन लाईन (Online) आवेदन पत्र आमंत्रित करता है:–

क्र0 सं0	पदनाम एवं वेतनमान	कोड न0	शाखा	सामा0	अनु0जा0	अनु0 ज0 जा0	अ0पि0व0 (Non- Creamy)	कुल पद
1	सहा0 अभि0(प्रशिक्षु) (वि0यां0) वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100, ग्रेड वेतन रु0 5400	ए–1	विद्युत	20	03	01	05	29
		ए–2	यांत्रिक	14	03	–	02	19
		ए–3	इलैक्ट्रोनिक्स	03	01	–	01	05
		योग		**37**	**07**	**01**	**08**	**53**
2	सहा0 अभि0(प्रशिक्षु) (जानपद) वेतन बैण्ड–3, रु0 15600– 39100, ग्रेड वेतन रु0 5400	ए–4	जानपद	42	12	01	10	65
							कुल पद	**118**
3	अवर अभि0 (प्रशिक्षु) (वि0यां0) वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800, ग्रेड वेतन रु0 4200	जे–1	विद्युत	30	08	01	07	46
		जे–2	यांत्रिक	20	06	–	04	30
		जे–3	इलैक्ट्रोनिक्स	03	01	–	01	05
			योग	**53**	**15**	**01**	**12**	**81**
4	अवर अभि0 (प्रशिक्षु) (जानपद) वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800, ग्रेड वेतन रु0 4200	जे–4	जानपद	68	22	03	19	112
							कुल पद	**193**
			कुल योग	**200**	**56**	**06**	**49**	**311**

नोटः *रिक्त पदों की संख्या घट/बढ़ सकती है। उपरोक्त भर्ती चरणबद्ध रूप में की जायेगी।*

1. उपरोक्त पदों में व्यासी परियोजना हेतु अवर अभियन्ता (प्र0)(जानपद) के 38 पद एवं अवर अभियन्ता (प्र0)(ई0एण्डएम0) के 15 पद भी सम्मिलित है। इन पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में भूमिहीन व्यासी परियोजना के प्रभावितों को वरीयता उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1229/ I(2)/2013/05–104/2005 टीसी, दिनांक 28–06–2013 के द्वारा जारी ''जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति–2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

2. उपरोक्त विज्ञापित पदों हेतु शीर्ष (Vertical) आरक्षण के साथ, उत्तराखण्ड महिला हेतु 30, भूतपूर्व सैनिक हेतु 5 एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 2 प्रतिशत तथा विकलांग अभ्यर्थियों (केवल अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के लिए श्रेणी ''ग'' चलन प्रक्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात) को 03 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षण नीतियों/निर्देशों के अनुसार उपलब्ध होगा। इस सम्बन्ध में केवल उत्तराखण्ड राज्य के सक्षम अधिकारी का ही प्रमाण पत्र मान्य होगा।

आवश्यक शैक्षिक योग्यताऐं एवं आयु सीमाः–
सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0एवंयां0)/जानपद

आवश्यक शैक्षिक/तकनीकी योग्यतायें	आयु सीमा
सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु भारत/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से अभियांत्रिकी की सम्बन्धित शाखा (इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल/इलैक्ट्रोनिक्स/जानपद) में सामान्य/अन्य श्रेणी के अभ्यथियों के लिए 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री अथवा AMIE (Section A & B) उत्तराखण्ड राज्य के अनु0जा0/अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए केवल उपरोक्त अर्ह परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। विभागीय (उजविनि लिमिटेड में कार्यरत) सामान्य एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।	सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 01.07.2015 को 21 वर्ष से कम एवं 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनु0जाति/अनु0जनजाति हेतु 05 वर्ष, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों के आश्रितों हेतु 03 वर्ष एवं अनु0जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (Non-Creamy), के शारीरिक रूप से विकलांग, अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। शासनादेश सं0 17/2/1981–कार्मिक–2 दिनांक 28.02.1985 में निहीत प्रावधानों के अनुसार आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्प कालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, भूतपूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट, सेवाकाल को आधार मानकर नियमानुसार अनुमन्य होगी।

अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0एवंयां0)/जानपद	
आवश्यक शैक्षिक/तकनीकी योग्यतायें	**आयु सीमा**
अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु भारत/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पोलिटैक्निक/संस्थान से अभियांत्रिकी की सम्बन्धित शाखा में (इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल/इलैक्ट्रोनिक्स/जानपद) में सामान्य/ अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए में 55 प्रतिशत अंकों के साथ तीन वर्षीय डिप्लोमा एवं विभागीय (उजविनि लिमिटेड में कार्यरत) सामान्य एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त अर्ह परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अन्य कोई अभियांत्रिकी शाखा एवं उच्च शैक्षिक योग्यता अनुमन्य नहीं होगी।	सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 01.07.2015 को 18 वर्ष से कम एवं 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनु0जाति/अनु0जनजाति हेतु 05 वर्ष, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकों के आश्रितों हेतु 03 वर्ष एवं अनु0जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (Non-Creamy), के शारीरिक रूप से विकलांग, अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। शासनादेश संख्या 06/01/1972–कार्मिक–2, दिनांक 24.04.1977 में निहीत प्राविधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को जिन्होंने संध की सशस्त्र सेना में किसी कोटि में कम से कम 06 माह की अवधि के लिए लगातार सेवा की हो, को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने के उपरान्त इस पद हेतु निहीत अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।

चयन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारियाँः

सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु)

(1) अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा एवं उसके बाद संक्षिप्त सूचीबद्ध (Shortlisted) अभ्यर्थियों के साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।

(2) सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन 176 अंकों की लिखित परीक्षा एवं 24 अंकों की साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर संयुक्त श्रेष्ठता सूची के अनुसार किया जायेगा।

(3) लिखित परीक्षा तीन घन्टे की अवधि की होगी, जिसमें दो प्रश्न–पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (objective type) के होगे। प्रथम प्रश्न पत्र में General Aptitude Test से सम्बन्धित 50 प्रश्न होंगे तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में अभियांत्रिकी पर आधारित (Technical (Discipline-wise) 126 प्रश्न होंगे।

(4) प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्रों के क्रमशः 50 एवं 126 अधिकतम अंक होंगे। सामान्य एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा अनु0 जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

(5) साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को उपरोक्त परीक्षा के प्राप्तॉकों के आधार पर पूरी तरह से मैरिट के क्रम में तथा प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या के तीन गुना उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (including tie) को ही आमंत्रित किया जायेगा परन्तु कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण होने की दशा में यह संख्या कम भी हो सकती है।

(6) समान अंक (Tie) की स्थिति में श्रेष्ठता सूची में पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठता दी जायेगी। अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन लिखित परीक्षा (88 प्रतिशत वेटेज) एवं साक्षात्कार (12 प्रतिशत वेटेज) में अर्जित अंकों के आधार पर तैयार की गई संयुक्त श्रेष्ठता सूची (Merit List) के आधार पर किया जायेगा।

(7) सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के लिए अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के लिए सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर चयनित किये जायेंगे।

(8) प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थी नियमित संवर्ग में नियुक्ति हेतु उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए प्रशिक्षु निर्धारित अन्तिम लिखित तथा/अथवा मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

(9) यदि प्रशिक्षु अन्तिम परीक्षा में अनुउत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनको प्रशिक्षण अधिकतम 02 वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जो कि उनके प्रशिक्षण के प्रथम दिवस से आंकलित किया जायेगा एवं बढ़े हुए प्रशिक्षण की अवधि में उनको एक अवसर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रदान किया जायेगा। परन्तु यदि प्रशिक्षु द्वितीय परीक्षा में भी अनुउत्तीर्ण हो जाते हैं अथवा किसी कारणवश द्वितीय परीक्षा में अनुउत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उनकी नियुक्ति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त ही उनको नियमानुसार निगम में सहायक अभियन्ता कैडर में नियुक्त किया जायेगा।

(10) वर्ष 2015 में अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी उक्त पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। यद्यपि ऐसे अभ्यर्थियों को दिनांक 30.09.2015 तक निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों के साथ अन्तिम वर्ष उत्तीर्ण होने का अंक पत्र/प्रमाण–पत्र **''संयोजक परीक्षा एवं चयन''** के नीचे दिये गये पते पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)

(1) अभ्यर्थियों का चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा।

(2) अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) हेतु लिखित परीक्षा तीन घन्टे की अवधि तथा दो प्रश्न–पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective type) की होगी।

(3) प्रथम प्रश्न पत्र में General Aptitute Test से सम्बन्धित 50 प्रश्न होंगे तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में अभियांत्रिकी पर आधारित (Technical (Discipline-wise) 130 प्रश्न होंगे। जिनके क्रमशः 50 एवं 130 अधिकतम अंक होंगे।

(4) सामान्य एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

(5) अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनायी गयी श्रेष्ठता सूची (Merit List) के अनुसार होगा।

(6) समान अंक (Tie) की स्थिति में श्रेष्ठता सूची में पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठता दी जायेगी।

(7) अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के लिए अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के लिए अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर चयनित किये जायेंगे तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त ही उनको नियमानुसार निगम में अवर अभियन्ता कैडर में नियुक्त किया जायेगा। यदि प्रशिक्षु अन्तिम परीक्षा में अनुउत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनको प्रशिक्षण अधिकतम 02 वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जो कि उनके प्रशिक्षण के प्रथम दिवस से आंकलित किया जायेगा एवं बढ़े हुए प्रशिक्षण की अवधि में उनको एक अवसर पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रदान किया जायेगा। परन्तु यदि प्रशिक्षु द्वितीय परीक्षा में भी अनुउत्तीर्ण हो जाते हैं अथवा किसी कारणवश द्वितीय परीक्षा में अनुउत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उनकी नियुक्ति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त ही उनको नियमानुसार निगम में सहायक अभियन्ता कैडर में नियुक्त किया जायेगा।

परीक्षा केन्द्रः

चयन हेतु लिखित परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। स्थान की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए केन्द्रों का चयन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर प्राथमिकता के विकल्प को किसी एक स्थान पर किया जायेगा।

परीक्षा केन्द्र (1) देहरादून (2) पन्तनगर (3) श्रीनगर (4) अल्मोड़ा

आवेदन शुल्कः

सभी पदों हेतु सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य श्रेणियों के लिए रू0 500.00 तथा उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रू0 250.00 का आवेदन शुल्क (non-refundable) देय है।

सामान्य निर्देशः

1. अभ्यर्थी हिन्दी लिखने, पढ़ने तथा बोलचाल में सक्षम होने चाहिए।
2. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु **उत्तराखण्ड के किसी रोजगार कार्यालय में आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध पंजीकरण** होना चाहिए अन्यथा की स्थिति में आवेदक इस पद हेतु पात्र नहीं होगा।
3. दूरस्थ शिक्षा/पत्राचार के माध्यम से प्राप्त अभियांत्रिकी डिग्री/डिप्लोमा मान्य नहीं होगा।
4. सभी योग्यताऐं मान्यताप्राप्त संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्राप्त होनी चाहिए।
5. किसी विशेष श्रेणी से सम्बन्धित होने का दावा प्रस्तुत किये जाने वाले अभ्यर्थियों को **उत्तराखण्ड राज्य के सक्षम अधिकारी** से निर्धारित प्रारूप में सम्बद्ध प्रमाण–पत्र की प्रति आवश्यक रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी, अन्यथा उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी का माना जायेगा तथा बाद में श्रेणी परिवर्तन की किसी भी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड से सम्बन्धित नहीं होंगे, उन्हें सामान्य श्रेणी में ही माना जायेगा।
6. उत्तराखण्ड शासन आदेश संख्या 42/ I/2014/05/104/2005, दिनांक 22.12.2014 के अनुसार व्यासी परियोजना हेतु अवर अभियन्ता के आरक्षित पदों पर भूमिहीन हो गये परियोजना प्रभावित परिवारों के रोजगार के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक योग्यता, आयु सीमा तथा अर्ह परीक्षा में उपरोक्त वर्णित अंकों के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक है, तभी वे पदों हेतु पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों का परिवार की गणना के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1229/ I(2)/2013/05–104 /2005टीसी–1, दिनांक 28.06.2013 के द्वारा जारी ''जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना नीति–2013'' के अनुसार प्रमाण–पत्र आवश्यक है। जिसकी प्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करनी होगी अन्यथा की स्थिति में आवेदन इस श्रेणी में मान्य नहीं होगा।

7. 200 उम्मीदवारों से कम वाले किसी विशेष परीक्षा स्थान की दशा में, प्रबन्धन को यह अधिकार है कि वह उस विशेष स्थान का विलय अपनी इच्छा पर निकटतम भौगोलिक स्थान पर कर दें।
8. एक बार आवंटित परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
9. अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने हेतु उसकी ग्राहयता ही काफी नहीं होगी।
10. समय–समय पर लिखित परीक्षा हेतु अर्ह/पात्र अभ्यर्थियों की सूची, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा की तिथि आदि यूजेवीएन लिमिटेड की वैबसाईट पर प्रर्दशित की जायेगी। अतः सम्बन्धित अभ्यर्थी इस विज्ञापन से सम्बन्धित सूचनायें समय–समय पर यूजेवीएन लिमिटेड की वैबसाईट www.ujvnl.com पर देखते रहें।
11. अप्रैन्टिसशिप एक्ट 1961 के तहत **प्रशिक्षित प्रशिक्षु** के नियोजन हेतु आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर अवधि की छूट अनुमन्य होगी। शिथिलता हेतु उन प्रशिक्षु प्रशिक्षार्थी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा जैसा कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय (Apex Court) द्वारा दिये गये हैं।
12. उत्तराखण्ड में अप्रैन्टिसशिप प्राप्त मूल/स्थाई निवासी अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की छूट होगी।
13. अर्हता प्राप्त विभागीय अभ्यर्थियों को निगम में की गयी कुल सेवा के वर्षों की संख्या अथवा 05 वर्ष, जो भी अधिक हो, ऊपरी आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी।
14. लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक तथा गलत उत्तर हेतु ऋणात्मक (Negative) 1/4 अंक होंगे।
15. लिखित परीक्षा के पश्चात् लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को निगम की वैवसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
16. लिखित परीक्षा के अंकों को निगम की वैबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
17. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय स्वयं वहन करने होंगे।
18. सभी पदों को उजविनिलि के संचालन क्षेत्र में रखा जायेगा जो समयानुसार आवश्यकता पर निर्भर होगा।
19. **उम्मीदवारों से आग्रह है कि वे ध्यान रखें कि यूजेवीएन लिमिटेड में उनका पदस्थापन/तैनाती अधिकतर उत्तराखण्ड के पहाड़ी/दूरवर्ती क्षेत्रों में हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स/पावर स्टेशन्स/निगमाधीन परियोजनाओं में होगा। उम्मीदवारों को इन स्थानों पर कार्य करने के लिए इच्छुक होना चाहिए।**
20. इस विज्ञापन तथा अथवा इस सन्दर्भ में प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में उठे किसी प्रकार के विवाद अथवा दावे के लिए कोई भी कानूनी प्रक्रिया केवल देहरादून तथा केवल देहरादून स्थित न्यायालय/ट्रिब्युनल/फोरम में ही दायर की जा सकती है जो ऐसे वाद/विवाद निपटाने का एकमात्र न्यायक्षेत्र होगा।
21. किसी भी तरह की लॉबी/प्रचार/पहल अभ्यर्थी की अयोग्यता समझी जायेगी।
22. अभ्यर्थी एक पद हेतु केवल एक ही आवेदन पत्र प्रेषित करें। एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्रेषित करने पर अभ्यर्थी की पात्रता को निरस्त किया जा सकता है।
23. आवेदन के साथ समस्त शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण–पत्रों/अंक तालिकाओं/अन्य प्रमाण–पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियां संलग्न होनी चाहिए।
24. अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अधूरे/गलत/अपठनीय वर्तमान पत्र व्यवहार के पते के कारण यदि कोई सूचना अभ्यर्थी तक नहीं पहुँचती है तो यूजेवीएन लिमिटेड इस हेतु किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
25. व्यक्तिगत रूप से लाए गये अथवा कोरियर द्वारा भेजे गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
26. निर्दिष्ट समय के भीतर प्रपत्रों/आवेदन के प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की देरी/रवानगी में खो जाने के लिए यूजेवीएन लिमिटेड उत्तरदायी नहीं होगा।
27. **केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/प्रतिष्ठान/यूजेवीएन लिमिटेड में कार्यरत अभ्यर्थियों** को अपने आवेदन उपयुक्त माध्यम (Through proper channel) से भेजने होंगे, जिसमें यह उल्लेख हो कि अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक/विजिलेन्स मामला नहीं चल रहा है।

28. सहायक अभियन्ता (प्र0) के पद हेतु यदि वर्तमान में कार्यरत केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/प्रतिष्ठान/यूजेवीएन लिमिटेड के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/प्रतिष्ठान में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से प्राप्त NOC प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
29. किसी भी प्रकार के अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/भ्रामक बिना हस्ताक्षर अथवा उल्लिखित निर्देशों के विपरीत, या देर से प्राप्त किये गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
30. यूजेवीएन लिमिटेड के पास इस विज्ञप्ति एवं सम्बन्धित नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

आवेदन कैसे करें:–

01. इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी वैबसाईट www.ujvnl.com पर दिये गये निर्देशों के अनुसार दिनांक 01.07.2015 से 31.07.2015 तक ऑनलाइन आवेदन करें। अन्य किसी प्रकार के प्रारूप पर प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
02. अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट "यूजेवीएन लिमिटेड" के नाम देहरादून में देय का बनवाकर, शुल्क का विवरण आनलाईन आवेदन के साथ भरें।
03. ऑन लाईन (Online) आवेदन करने के उपरान्त अभ्यर्थी भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कापी वैबसाइट से डाउनलोड कर वांछित प्रमाण पत्रों (यथा जन्म तिथि प्रमाण–पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो), सेवायोजन कार्यालय का पंजीयन प्रमाणपत्र (अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद हेतु) एवं निर्धारित परीक्षा शुल्क (बैंक ड्राफ्ट) सहित लिफाफे पर **Application for the post of Assistant Engineer(Trainee) (E&M) or (Civil)/ Junior Engineer(Trainee) (E&M) or (Civil),** जिस पद के लिए आवेदन किया हो, अंकित कर केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा निम्नलिखित पते पर इस प्रकार भेजें कि **दिनांक 10–08–2015** तक अवश्य पहुंच जाए:

IMPORTANT DATES FOR APPLICATION:

Start of Online Application	01-07-2015
Last Date of submitting Online Application	31-07-2015
Last Date for receiving Hard Copy of Application alongwith self attested documents/Application Fee at Pantnagar	10-08-2015

संयोजक (परीक्षा एवं चयन)
जी0बी0 पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, लेम्बर्ट स्कावयर गेस्ट हाऊस,
पन्तनगर, ऊधमसिंह नगर– 263145.

महाप्रबन्धक (का0 एवं औ0सं0)